

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

सं०सं०-01/स्था० (का०पदा०)-05/2018-3460 /न०वि०एवंआ०वि०। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 41 के अन्तर्गत नगर विकास एवं आवास विभाग के नियंत्रणाधीन निम्न विवरणी में अंकित कार्यपालक पदाधिकारियों को तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक उनके नाम के सामने कॉलम 3 में अंकित वर्तमान पदस्थापन स्थान से स्थानांतरित करते हुए कॉलम 4 में अंकित नवपदस्थापन स्थान पर पदस्थापित करते हुए कॉलम 5 में अंकित नगर निकायों का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नवपदस्थापन स्थान	अतिरिक्त प्रभार वाले नगर निकाय
1	2	3	4	5
1	श्री दीनानाथ (पटना)	नगर पंचायत इस्लामपुर	नगर परिषद्, जमालपुर	
2	श्री शंकर प्रसाद (अरवल)	नगर पंचायत दीघवारा	नगर परिषद्, मधेपुरा	नगर पंचायत मुरलीगंज
3	श्री मनीष कुमार (भोजपुर)	नगर पंचायत, परसा बाजार	---	नगर पंचायत दीघवारा

बिहार राज्यपाल के आदेश से।


ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था० (का०पदा०)-05/2018-3460 /न०वि०आ०वि०, पटना/दिनांक-30/06/18

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित पदाधिकारी/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/नगर विकास एवं आवास विभाग के मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के अवर सचिव।